न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

FORM-A

In the Court of Principal Sessions Judge, Sheohar, Bihar **Present:- Sri Deepak Kumar, Principal Sessions Judge, Sheohar,** (Date of Judgment:-30-07-2026) S.Tr. No-153/2016, CNR No. BRS001-000115-2016 Tariyani P.S. Case No. 47/2012 G.R.No.-164/2012. Tr. No. 404/2016. Offence:-U/s-147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 IPC. District-SHEOHAR.	
COMPLAINANT/INFORMANT	साधना सिंह, पति–अरुण कुमार सिंह, ग्राम–बैधनाथपुर, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर।
ACCUSED	रौशन कुमार, उम्र करीब–34 वर्ष, पिता–हरि मोहन सिंह, ग्राम–बैजनाथपुर, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर।
REPRESENTED BY COMPLAINANT/ INFORMANT	श्री सुरेश राय, विद्वान लोक अभियोजक। श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
REPRESENTED BY ACCUSED PERSON	श्री अमन कुमार अमन, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

Date of Offence	03-04-2012
Date of F. I. R.	03-04-2012
Date of Charge sheet	C.S.-179/2012, Dated-31-10-2012
Date of Cognizance	07-01-2013
Date of Framing Charges	30-09-2016
Date of Commencement of Evidence	19-10-2016
Date of which judgment is reserved	20-06-2026
Date of judgment	30-07-2026
Date of the Sentencing order, if any	N.A.

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	रौशन कुमार,	18-08-2012 13-09-2016	01-09-2012 04-10-2016	147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 IPC.	Acquitted		

Form-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	रमेश सिंह,	अ0सा0सं0–01. (पक्षद्रोही साक्षी)
02.	अरुण कुमार सिंह,	अ0सा0सं0–02.
03.	विवेक राज,	अ0सा0सं0–03. (पक्षद्रोही साक्षी)

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

04.	विजय कुमार साह,	अ0सा0सं0–04. (पक्षद्रोही साक्षी)
05.	रतन झा,	अ0सा0सं0–05. (पक्षद्रोही साक्षी)
06.	विनोद ठाकुर,	अ0सा0सं0–06. (पक्षद्रोही साक्षी)
07.	गणेश सिंह उर्फ रामगणेश प्रसाद सिंह,	अ0सा0सं0–07. (पक्षद्रोही साक्षी)
08.	साधना सिंह,	अ0सा0सं0–08. (सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी)
09.	सुधीर कुमार सिंह,	अ0सा0सं0–09. (पक्षद्रोही साक्षी)
10.	मो0 कलीमुल्लाह,	अ0सा0सं0–10. (पक्षद्रोही साक्षी)
11.	डा0 पवन कुमार निराला,	अ0सा0सं0–11. (चिकित्सक साक्षी)
12.	प्रेम किशोर यादव,	अ0सा0सं0–12. (अनुसंधानक)

B. Defence Witness, if any ; -

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
01.	प्रदर्श–1.	जप्ती सूची पर साक्षी रमेश सिंह का हस्ताक्षर,
02.	प्रदर्श–1 / 1.	जप्ती सूची दिनांक 03.04.2012,
03.	प्रदर्श–2.	फर्दबयान पर सूचिका साधना सिंह का हस्ताक्षर,
04.	प्रदर्श–2 / 1.	सम्पूर्ण फर्दबयान,
05.	प्रदर्श–3.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी चन्दन कुमार,
06.	प्रदर्श–3 / 1.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी अरुण कुमार सिंह,
07.	प्रदर्श–3 / 2.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी प्रियंका कुमारी,
08.	प्रदर्श–4.	सम्पूर्ण औपचारिक प्राथमिकी (तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
09.	प्रदर्श–5.	चंदन कुमार का जख्म मॉग–पत्र,
10.	प्रदर्श–6.	अरुण कुमार का जख्म मॉग–पत्र,
11.	प्रदर्श–7.	प्रियंका कुमारी का जख्म मॉग–पत्र,

B. DEFENCE ;

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	–	–

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

D. MATERIAL OBJECTS ; NIL

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION
-	-	-

<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>सत्रवाद संख्या–153/2016</u>
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

उपस्थित: दीपक कुमार
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर
शिवहर, दिनांक 30वीं जुलाई,

सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016
सरकार
बनाम्
रौशन कुमार

आरोप गठित अंतर्गत धारा – 147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 भारतीय दंड संहिता

बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक–श्री सुरेश राय।
विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री अमन कुमार अमन।

<u>निर्णय</u>

01. प्रस्तुत सत्रवाद में एकमात्र अभियुक्त–रौशन कुमार का विचारण धारा–147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों हेतु किया गया है।

02. अभियोजन का मामला फर्दबयान पर आधारित प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है, जिसमें सूचिका साधना सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तरियानी में तरियानी थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिये गये अपने बयान में कही है कि–आज दिनांक–03.04.2012 के समय 11:30 ए0एम0 बजे जिला शिक्षा अधीक्षक,

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

शिवहर खाजेपुर मध्य विद्यालय के जॉच में आये थे। मैं विद्यालय की सचिव होने के नाते वहॉ पर मौजूद थी कि गॉव के मनीष कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, पुकार साह, विनिज कुमार साह, हरिन्द्र दास, कृष्ण सिंह, राजा कुमार, रमेश लाल, मुनचुन सिंह, गोपाल सिंह, सागर राय, धारी राय, ब्रजकिशोर सिंह, संत राय, महेश राय, मो0 सबीर, नजरे आलम एवं अन्य दस–पन्द्रह व्यक्ति, जिसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, वे लोग भी वहॉ मौजूद थे। जॉच में आये क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक, तिरहुत प्रमंडल बारी–बारी से शिक्षकगण से जॉच के बिन्दु पर पूछताछ कर रहे थे कि इतने में मनीष कुमार एवं सभी उपरोक्त वर्णित व्यक्ति हंगामा मचाकर कहने लगे कि विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनता है, विद्यालय में कोई काम नहीं होता है, विद्यालय का पैसा उठाकर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय सचिव खा जाते हैं। इस पर मैं बोली कि जॉच हो रही है। आपलोगों को हल्ला करने की क्या जरूरत है। इतने पर सभी लोग सुनियोजित ढ़ंग से हमला कर दिये। बीच–बचाव करने मेरे पति अरुण कुमार सिंह, पुत्र–चन्दन कुमार सिंह, पुत्री–प्रियंका कुमारी आयी तो उसे भी सभी लोग ईंटा, पत्थड़, डंडा से जान मारने के नियत से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिये। मेरा दावा है कि उक्त सभी लोग नाजायज मजमा बनाकर जान मारने के नियत से मारपीट कर जख्मी कर दिये। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

03. उपरोक्त फर्दबयान के आधार पर तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012, दिनांक–03.04.2012, अंतर्गत धारा–147, 148,149, 341, 323, 325, 307, 353, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी के नामित उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्व मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, शिवहर के आदेशानुसार इस कांड में धारा–147, 149, 342, 323, 307, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

कृष्णनंदन सिंह, राजा कुमार, रामाशंकर प्रसाद उर्फ रमेश लाल को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए प्राथमिकी अभियुक्तों–संत राय, हरिमोहन सिंह, रौशन कुमार, सागर राय, महंत राय, मनीष कुमार, रामपुकार साह, विनिज कुमार साह, मुनचुन सिंह, हरेन्द्र दास, गोपाल सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, धारी राय, नजरे आलम, मो0 सबीर के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या–179/2012, दिनांक–31.10.2012, धारा–147, 149, 342, 323, 307, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता में न्यायालय के समक्ष समर्पित किया। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के द्वारा दिनांक–07.01.2013 को धारा–147, 149, 342, 323, 307, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामले को सत्य पाते हुए अपराध का संज्ञान ग्रहण किया गया।

आदेशफल दिनांक–17.12.2014 पर वर्णित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त रौशन कुमार की ओर से उक्त तिथि को न्यायालय के समक्ष दाखिल प्रतिनिधित्व–पत्र को अस्वीकृत करते हुए, उसका बंध–पत्र खंडित करते हुए उसका वाद पृथक करते हुए उसके विरूद्व अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश देते हुए शेष अन्य उपरोक्त चौदह अभियुक्तों का वाद सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द करने का आदेश दिया गया।

विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय के आदेशफलक दिनांक–22.09.2016 पर वर्णित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त रौशन कुमार से संबंधित अभिलेख को सत्र न्यायालय को दौरा सुपूर्दगी करने का आदेश दिया गया, जो अभिलेख दिनांक–23.09.2016 को विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हस्तगत कराया गया।

04. प्रस्तुत मामलें में उपरोक्त एकमात्र अभियुक्त–रौशन कुमार के विरूद्व दिनांक–30.09.2016 को अंतर्गत धारा–147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149,

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

504/149, 506/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे इंकार करते हुए एकमात्र अभियुक्त ने विचारण का दावा किया।

05. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में आरोप–पत्र के कॉलम–13. में वर्णित कुल चौदह साक्षियों में से बारह साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–01. रमेश सिंह (पक्षद्रोही साक्षी), 02. अ0सा0सं0–02. अरुण कुमार सिंह, 03. अ0सा0सं0–03. विवेक राज (पक्षद्रोही साक्षी), 04. अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह (पक्षद्रोही साक्षी), 05. अ0सा0सं0–05. रतन झा (पक्षद्रोही साक्षी), 06. अ0सा0सं0–06. विनोद ठाकुर (पक्षद्रोही साक्षी), 07. अ0सा0सं0–07. गणेश सिंह उर्फ रामगणेश प्रसाद सिंह, (पक्षद्रोही साक्षी), 08. अ0सा0सं0–08. साधना सिंह (सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी), 09. अ0सा0सं0–09. सुधीर कुमार सिंह (पक्षद्रोही साक्षी), 10. अ0सा0सं0–10. मो0 कलीमुल्लाह (पक्षद्रोही साक्षी) , 11. अ0सा0सं0–11. डा0 पवन कुमार निराला (चिकित्सक साक्षी) एवं 12. अ0सा0सं0–12. प्रेमकिशोर यादव (अनुसंधानक) हैं।

06. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श अंकित कराये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

01.	प्रदर्श–1.	जप्ती सूची पर साक्षी रमेश सिंह का हस्ताक्षर,
02.	प्रदर्श–1/1.	जप्ती सूची दिनांक 03.04.2012,
03.	प्रदर्श–2.	फर्दबयान पर सूचिका साधना सिंह का हस्ताक्षर,
04.	प्रदर्श–2/1.	सम्पूर्ण फर्दबयान,
05.	प्रदर्श–3.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी चन्दन कुमार,
06.	प्रदर्श–3/1.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी अरुण कुमार सिंह,
07.	प्रदर्श–3/2.	जख्म प्रतिवेदन जख्मी प्रियंका कुमारी,
08.	प्रदर्श–4.	सम्पूर्ण औपचारिक प्राथमिकी (तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
09.	प्रदर्श–5.	चंदन कुमार का जख्म मॉग–पत्र,

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

10.	प्रदर्श–6.	अरुण कुमार का जख्म मॉग–पत्र,
11.	प्रदर्श–7.	प्रियंका कुमारी का जख्म मॉग–पत्र,

07. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. अ0सा0सं0–01. रमेश सिंह (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–इस जप्ती सूची पर यह मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श–1.(एक) अंकित किया गया। साकिन–बैधनाथपुर के स्व0 रामबाबू सिंह की बेटी कुसमु देवी के साथ मेरी शादी हुई है। आज से करीब एक–डेढ़ वर्ष पहले की घटना है। घटना के दिन मैं अपने घर पर था। मैं सुना था कि बैद्यनाथपुर स्थित स्कूल पर स्थानीय लोगों एवं शिक्षकों के बीच झगड़ा–झंझट हुआ था। बच्चा लोगों के खाना में गड़बड़ी होने के कारण घटना घटी थी। मैं नहीं जानता कि उस दिन बाहरी पदाधिकारी कोई वहॉ आया था या नहीं। मैं घटना के बाद दारोगाजी को नहीं देखा था। दारोगाजी मेरा बयान लिए थे। पुनः कहा है कि दारोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे, बल्कि थाना पर बुलाकर मेरा दस्तखत एक कागज पर कराये थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–अभियुक्तगण मेरे बगल के गॉव के हैं, इसलिए इन्हें पहचानता हूँ। मेरा हस्ताक्षर सादा कागज पर दारोगाजी करवाये थे। मेरा हस्ताक्षर तरियानी थाना पर करवाया गया था। मेरे समक्ष कोई भी सामान जप्त नहीं हुआ था। घटना के विषय में मैं किससे सुना था, उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ।

09. अ0सा0सं0–02. अरुण कुमार सिंह (सूचिका के पति) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना है। मेरी पत्नी साधना सिंह मध्य विद्यालय, खाजेपुर की सचिव है। उस

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

दिन उक्त विद्यालय की जॉच हेतु शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य तीन व्यक्ति विद्यालय में आये हुए थे एवं मेरी पत्नी भी जॉच में उक्त व्यक्तियों के साथ थी। वहॉ हो–हल्ला होने लगा। उस विद्यालय के एक घर के बाद मेरा घर है। हो–हल्ला सुनकर मेरा लड़का चंदन, उसके बाद मैं एवं उसके बाद मेरी लड़की प्रियंका कुमारी उस स्कूल पर आये। मैं जब वहॉ पहुॅचा तो देखा कि मेरी पत्नी ग्रामीणों मनीष कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, सागर राय, महंथ राय, संत राय, धारी राय, नजरे आलम, हरिन्द्र दास, पुकार साह, विनिज साह, सबीर मियां, ब्रज किशोर सिंह, गोपाल सिंह, नवीन कुमार उर्फ मुनचुन, कृष्णा सिंह, रमेश राय, राजा सिंह को समझा रही थी एवं कह रही थी कि आपलोग हल्ला मत कीजिये, जॉच होने दीजिये। वहॉ एकत्र हुए उपरोक्त ग्रामीण कह रहे थे कि सचिव एवं प्रधानाध्यापक मिलकर खिचड़ी का पैसा खा जाते हैं।

इस साक्षी ने आगे कहा है कि मेरा लड़का चंदन भी उपरोक्त व्यक्तियों को समझाने लगा तो कृष्णा सिंह एवं रमेश राय कहा कि मारो–मारो, जिस पर उपरोक्त सभी व्यक्ति, चंदन मुझ पर एवं शिक्षकों पर ईंटा चलाने लगे। रौशन कुमार ईंटा से चंदन के सिर पर मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। प्रियंका, चंदन को बचाने गई तो हरि सिंह ईंटा से उसके नाक पर मारा, जिससे उसका नाक फट गया। मुझे मनीष कुमार ईंटा से सिर पर मारा, जिससे मेरा सिर पचक गया और मैं नाचकर वहीं गिर गया। इसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं देखा, क्योंकि मैं गिरकर बेहोश हो गया था। मुझे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में होश आया एवं वहॉ पर मेरा ईलाज करीब दस दिनों तक चला था। अन्य जख्मियों का ईलाज तरियानी एवं उसके बाद वहीं मुजफ्फरपुर अस्पताल में हुआ था, यह बात मैं होश आने के बाद जाना। अस्पताल से लौटकर घर जब वापस आया तो सुना कि

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

अभियुक्तगण उपरोक्त विद्यालय में आग लगा दिये थे। इसके अलावे मैं और कुछ नहीं सुना। आज अभियुक्त मनीष कुमार न्यायालय में उपस्थित हैं एवं अन्य सभी अभियुक्तों को मैं पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–इस वाद के अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरिमोहन सिंह मेरे सगे भाई हैं। अभियुक्त मनीष कुमार एवं रौशन कुमार मेरा सगा भतीजा है। शेष सभी अभियुक्तगण मेरे ग्रामीण हैं। मेरा अपने भाईयों के साथ कागजी बँटवारा नहीं हुआ है। बँटवारा को लेकर बहुत विवाद चला था, परन्तु बँटवारा को लेकर अभी कोई विवाद नहीं चल रहा है। हमलोगों का आपसी बँटवारा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–इस केस के पहले मेरी पत्नी साधना देवी ने इस वाद के अभियुक्त मनीष कुमार एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–33/2006 की थी, जिसमें अभियुक्तगण रिहा हुए थे। मैं नहीं जानता कि अभियुक्त मनीष कुमार सिंह उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरूद्व सूचनार्थ आवेदन संख्या–73/2011 अनुमंडल दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दाखिल किया था। इस केस के अभियुक्त नजरे आलम ने इस केस के पूर्व मुझ पर एवं उक्त विद्यालय प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार सिंह एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–27/2012, अंतर्गत धारा–341, 342, 323, 379/34 भा0 द0वि0 दर्ज कराया था, जिसमें अभियुक्तों की रिहाई हो गई। अभियुक्त रामपुकार साह ने उसी दिन की घटना को लेकर मुझ पर, प्रधानाध्यापक एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–53/2012 किया था, जो कि अभी श्री विशाल कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में लंबित है।

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मेरा गॉव बैजनाथपुर एवं गॉव खाजेपुर, दो अलग–अलग गॉव है। विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव उसी गॉव का चुना जाता है, जिस गॉव में वह स्कूल है, मैं नहीं जानता हूॅ। मैं नहीं जानता कि सचिव उसी व्यक्ति को चुना जाता है, जिनके बच्चें उस स्कूल में पढ़ते हैं। घटना के वक्त मेरा दो लड़का गुलशन कुमार–वर्ग पंचम में एवं आसीत–वर्ग षष्ठम का छात्र है। मुझे कुल पॉच लड़के हैं। गुलशन एवं आसीत की जन्म तिथि याद नहीं है। मेरी शादी 19.05.1985 को हुई थी।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मैं जब विद्यालय पर पहुॅचा तो वहॉ पर करीब 40/50 व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें से मैं शिक्षकों एवं ईंटा–पत्थड़ चलाने वाले व्यक्तियों का नाम जानता हूॅ, परन्तु वहॉ उपस्थित भीड़ के अन्य व्यक्तियों का नाम मैं नहीं जानता हूॅ।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मेरे घर से करीब दस बारह लग्गी की दूरी पर विद्यालय है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा घर उक्त विद्यालय से करीब एक कि0मी0 की दूरी पर दक्षिण तरफ है। उस विद्यालय से दक्षिण सूरजदेव साह घर है, उत्तर में ग्रामीण चौक, पूरब में कृष्णा साह का घर एवं पश्चिम में सरेह एवं गाछी है। सूरजदेव साह, कृष्णा सिंह एवं ग्रामीण चौक के दूकानदारों से मुझे कोई झंझट नहीं है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–याद नहीं है कि ईंटा चलाने के वक्त मैं किस दिशा में मुॅह करके खड़ा था। ईंटा मेरे सिर पर आगे से लगी थी। मेरे ललाट पर ईंटा से जख्म हुआ था। ईंटा चालाने वालों की संख्या अठारह थी। ईंट सम्पूर्ण या ईंटा का टुकड़ा से मुझे चोट लगी थी, मैं नहीं देख सका था। याद नहीं है कि उस समय मैं कौन सा कपड़ा पहने था। मेरे कपड़े में खून नहीं लगा

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

था। जिस समय ईंटा चल रहा था, उस समय मेरे सामने चार/पॉच व्यक्ति थे, जिसमें मनीष कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, हरेन्द्र दास का नाम याद है। मुझे मार विद्यालय के कैम्पस में लगी थी। मेरे परिवार के लोगों के अलावे अन्य किसी का जख्म नहीं हुआ था।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि इस केस में आज से पहले मैं पुलिस को बयान दिया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं पुलिस को बयान नहीं दिया था कि जब मैं वहॉ पहुॅचा तो मैं देखा कि मेरी पत्नी ग्रामीणों–मनीष कुमार, रौशन कुमार एवं हरिमोहन सिंह को समझा रही थी एवं रौशन कुमार ईंटा से चंदन के सिर पर मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा एवं मेरा सिर पचक गया एवं मैं नाचकर वहीं गिर गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–मुझे चोट लगने के बाद जमीन पर खून नहीं गिरा था। ऐसी बात नहीं है कि मैं जैसा बयान दिया हूॅ, वैसी कोई घटना नहीं घटी एवं मेरा बयान सरासर झूठा है एवं मैं पारिवारिक विवाद एवं ग्रामीण विवाद के कारण अभियुक्तों को इस केस में फंसा दिया हूॅ।

10. अ0सा0सं0–03. विवेक राज (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–घटना 03.04.2012 लगभग साढ़े ग्यारह बजे की है। उस दिन विद्यालय में जॉच के लिए आर.डी.डी, मुजफ्फरपुर एवं डी.ई.ओ., डी.पी.ओ., शिवहर से गये थे। जॉच के लिए उस समय प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार सिंह, मो0 कलीमुल्लाह (शिक्षक), रतन झा (शिक्षक), अरुण कुमार सिंह (शिक्षक) थे। हमलोग और दूसरे शिक्षक बगल वाले क्लास रूम में बैठे थे। करीब 11:30 बजे हल्ला सुनकर हमलोग बाहर आये। उस समय विद्यालय के मुख्य द्वार पर 100–125 लोग थे। औरत–बच्चे थे। हल्ला हो रहा था। हमलोग पश्चिम की ओर भागे। दूसरे दिन

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

हमलोग विद्यालय आये तो ताला लगा हुआ था। पता चला कि यहॉ पर विवाद हुआ है। ग्रामीण एवं सचिव साधना सिंह एवं उनके पति अरुण कुमार सिंह के बीच। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूॅ।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–हल्ला–हंगामा करने वाले किसी व्यक्ति को मैंने नहीं पहचाना। न्यायालय के नोटिस पर मैं गवाही देने आया हूॅ। इस मुकदमा में पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ था।

11. अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को 11:30 बजे दिन की घटना है। मध्य विद्यालय, खाजेपुर में मैं शिक्षक के पद पर पदस्थापित हूॅ। उस दिन उक्त विद्यालय में जॉच के लिए आर.डी.डी., डी.ई.ओ. एवं डी.पी.ओ. तथा अन्य पदाधिकारीगण आये थे। हमलोग सभी स्टाफ बगल में कमरा में बैठे थे एवं प्रधानाध्यापक के कक्ष में जॉच चल रही थी। हमला हुआ। बाहर निकले, काफी भीड़ देखे। डरकर पीछे के गेट से बाहर भाग गये। कल होकर विद्यालय आये तो पता चला कि ग्रामीणों एवं सचिव साधना सिंह एवं पति अरुण कुमार सिंह में विवाद हुआ है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूॅ। दारोगा ने मेरा बयान नहीं लिया था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

मुदालह की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–हल्ला–हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं पहचाना था। मुदालह लोग विद्यालय में हल्ला–हंगामा करने वालो में नहीं थे। गॉव में शिक्षक होने के नाते इनलोगों (मुदालहों) को पूर्व से जानता–पहचानता हूॅ।

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

12. अ0सा0सं0–05. रतन झा (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–अप्रैल 2012 को दिन में 11:30 बजे की घटना है। उस समय मैं मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित था एवं अरुण सिंह की पत्नी उक्त विद्यालय की सचिव थी। उस दिन आर.डी.डी., डी.ई.ओ. एवं अन्य कुछ व्यक्ति उक्त विद्यालय में जॉच, उक्त विद्यालय के कार्यालय में सुधीर बाबू एवं अरुण सिंह के साथ कर रहे थे। हल्ला–गुल्ला ग्रामीण एवं अभिभावक लोग करने लगे, तब शिक्षक लोग वहॉ से भागने लगे और मैं भी भाग गया। घटना के बाद परसों होकर मैं विद्यालय आया तो मुझे कुछ नहीं पता चला कि उस दिन मेरे जाने के बाद क्या हुआ। दारोगा ने मेरा बयान नहीं लिया था। 2015 के फरवरी में उसी विद्यालय से अवकाश प्राप्त किया। मैं बाद में सुना था कि झगड़ा–झंझट उस दिन स्कूल पर हुआ था, परन्तु मैं नहीं सुना था कि झगड़ा–झंझट किसके बीच हुआ था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–हल्ला–हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता। न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आया हूॅ।

13. अ0सा0सं0–06. विनोद ठाकुर (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूॅ। दारोगा ने मेरा बयान नहीं लिया था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–हल्ला–हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता। न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आया हूॅ।

14. अ0सा0सं0–07. गणेश सिंह उर्फ रामगणेश प्रसाद सिंह (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–मैं 2006 से 2016 तक बेलहिया

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

पंचायत का सरपंच था। घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। दारोगा ने मेरा बयान नहीं लिया था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–मुदालहगण मेरे पंचायत के हैं, इसलिए मैं उन्हें पहचानता हूँ। आज न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आया हूँ।

15. अ0सा0सं0–08. साधना सिंह (सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन की है कि–मैं इस केस की सूचिका हूँ। घटना तिथि 03.04. 2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की है। जिला शिक्षा अधीक्षक, शिवहर खाजेपुर मध्य विद्यालय में जॉच के लिए आये थे। मैं विद्यालय के सचिव होने के नाते वहॉ पर मौजूद थी। जॉच में आये क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक, तिरहुत प्रमंडल बारी–बारी से शिक्षकों से पूछताछ कर रहे थे। इसी बीच गॉव के बहुत सारे लोग वहॉ पर आ गये और कहने लगे की विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनता है, विद्यालय में कोई काम नहीं होता है, विद्यालय का पैसा उठाकर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय सचिव खा जाते हैं। इस पर मैं बोली कि जॉच हो रही है, आपलोगों को हल्ला करने की क्या जरूरत है। इतने पर मुझ पर लोग हमला कर दिये। बीच–बचाव करने मेरे पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह तथा पुत्री प्रियंका कुमारी आई तो उन्हें भी सभी लोग ईंटा, पत्थड़, डंडा से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिये। मारपीट करने वालों में मैं किसी का नाम अभी नहीं बता सकती हूँ। काफी लोग जुट गये थे। भीड़ में किसने हमलोगों को मारपीट किया, मैंने नहीं देखा।

मुख्य परीक्षण में इस साक्षी ने आगे कहा है कि–हमलोग ईलाज के लिए पी0एच0सी0 तरियानी गये, जहॉ दारोगाजी आये और मेरा फर्दबयान लिया। पढ़कर सुना दिया। सही पाकर हस्ताक्षर किया। यही वह फर्दबयान है, जिस पर मेरा

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

हस्ताक्षर है, जिसे पहचानते हैं, जिसे प्रदर्श–02. अंकित किया जाता है। दारोगाजी ने मेरा पुनःबयान नहीं लिया था।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–मनीष और रौशन भतीजा है और हरिमोहन सिंह भैसुर हैं, इसलिए पहचानती हूँ। शेष मुदालह मेरे ग्रामीण हैं, इसलिए पहचानती हूँ। जॉच के समय गॉव के बहुत सारे लगभग 500–700 आदमी जमा थे और हल्ला–हंगामा कर रहे थे। मुझ पर, मेरे पति, मेरे पुत्र चंदन कुमार एवं पुत्री प्रियंका कुमारी के साथ भीड़ में किसने धक्का–मुक्की एवं मारा, मैं नहीं देख सकी और न ही पहचानी। मैं राजी–खुशी से सभी मुदालहों से सुलह कर लिया है। सुलहनामा पर हस्ताक्षर कर दी हूँ और न्यायालय में दाखिल की हूँ। मुदालहों के विरूद्व मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहती हूँ। मुदालहों को रिहा कर देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दारोगाजी को अस्पताल में किसने नाम लिखवाया, मुझे जानकारी नहीं है।

16. अ0सा0सं0–09. सुधीर कुमार सिंह (प्रधानाध्यापक, पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–घटना आज से साढ़े सात साल पहले की है। 03 अप्रैल, 2012 का दिन था। उस समय मैं खाजेपुर मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक था। ग्रामीणों के आवेदन पर विद्यालय में क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक रंजीत सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी सत्येन्द्र नारायण यादव, डी.पी.ओ. प्रमोद साहु विद्यालय में जॉच हेतु आये थे। लोगों को बुलाकर क्रमवार पूछताछ किया जा रहा था। इसी बीच शोरगुल होने लगा की विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनता है, सही ढ़ंग से काम नहीं होता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल का पैसा निकालकर सचिव साधना सिंह, प्रधान शिक्षक खा जाते हैं। इस पर साधना सिंह बोली की

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

आपलोगों के शिकायत पर जॉच दल आया है, जॉच हो रही है, आपलोग हंगामा क्यों करते हैं। इस पर अभियुक्तगण गाली–गलौज करते हुए पथराव करने लगे। सचिव के पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह, पुत्री प्रियंका कुमारी को मारपीट कर जख्मी कर दिये और लोगों को धक्का–मुक्की किये। टेबुल उलट दिये और शिक्षक कलीमुल्लाह एवं अरुण कुमार सिंह तथा मुझे कार्यालय में बंद कर दिये। पुलिस को सूचना दिये। पुलिस आई तो हमलोगों को ताला तोड़कर बाहर निकाली, थाना ले गई पुलिस। इसी बीच मुदालहगण फिर स्कूल में आकर विद्यालय का गोदरेज तोड़कर कागजात फर्श पर बिखेड़ दिये। मैं किसी मुदालहों को नहीं पहचाना। दारोगाजी मेरा बयान नहीं लिए थे।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–हल्ला–गुल्ला, शोरगुल के समय मैं कार्यालय में कार्यालय पदाधिकारी के समक्ष था। मैं बाहर नहीं निकला, जिस कारण किसी को नहीं देखा।

17. अ0सा0सं0–10. मो0 कलीमुल्लाह (पक्षद्रोही साक्षी) ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–03.04.2012 को मैं मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के रूप में उर्दू पढ़ाने के लिए पदस्थापित था। उस विद्यालय की सचिव साधना देवी थी। करीब 11–11:30 बजे दिन में ग्रामीणों की शिकायत पर जॉच दल विद्यालय में लोगों को बुलाकर जॉच कर रहे थे। डी.ई.ओ., डी.पी.ओ., आर.डी.डी. जॉच दल में आये थे। पूछताछ हो रही थी। इसी बीच ग्रामीण लोग हल्ला–गुल्ला करने लगे और स्कूल प्रशासन की शिकायत करने लगे। सचिव उनलोगों को समझाने लगी की जॉच दल आया है, जॉच हो रहा है, फिर हल्ला करने की क्या जरूरत है। ग्रामीण लोग रोड़ाबाजी करने लगे। सचिव को रोड़ा, ईंटा से मारने लगे।

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

सचिव का बेटा चंदन कुमार एवं उसका पति अरुण कुमार एवं बेटी प्रियंका कुमारी सचिव को बचाने के लिए आई तो उनको भी सभी ग्रामीणों द्वारा मारपीट किया गया। जॉच दल इस स्थिति को देखते हुए भाग गया। सूचना पाकर पुलिस आई। ग्रामीण हमलोगों को कार्यालय में ताला बंद करके रखे थे। कार्यालय में मुझे और सुधीर सिंह, अरुण कुमार, एक शिक्षक और जिन्हें बंद किये थे, पुलिस ताला तोड़कर बाहर निकाली और थाना ले गई। थाना में ही हमलोगों को सूचना मिली कि ग्रामीणों द्वारा विद्यालय कार्यालय में आग लगा दी गई, जिसमें सभी रजिस्टर वगैरह जल गया। घटना कारित करने वाले 20–25 व्यक्ति थे, जिसमें कुछ लोगों को पहचाने, लेकिन नाम अभी याद नहीं है। पूर्व में इस केस में मैंने बयान दिया था और कुछ लोगों का नाम कहा था। काफी दिन बीत जाने के बाद नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मुदालह को सामने आने पर पहचान सकता हूँ, नहीं भी पहचान सकता हूँ। न्यायालय में मुदालह उपस्थित हैं, पहचानता हूँ, मगर नाम याद नहीं है।

अभियोजन के द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–घटना करने वाले में किसी का नाम मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं घटना नहीं देखा था। दूसरे के कहने के अनुसार पूर्व के बयान में नाम बताये थे। कौन व्यक्ति नाम बताया था, उसका नाम याद नहीं है।

18. अ0सा0सं0–11. डा0 पवन कुमार निराला (चिकित्सक साक्षी), ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–**01. That On dated-03.04.2012 I was posted as a M.O. at P.H.C. Tariyani on that day. I examined Chandan Kumar, S/o-Arun Singh, age-25 years, Male, Village-Baijnathpur, P.S.-Tariyani, Dist.-Sheohar at 12:00 P.M. and found following injuries on his person-**

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

(i) Lacerated wound on forehead about 2"x1/2"x1/4"

(ii) Skretch mark on the right knee.

M.I.-Lt. Cheek mole mark.

Both the injury caused by hard blunt substance, such as brick stone.

Nature of injury-Both injury simple.

To rule out any other internal injury and further management of case the patient is being referred to S.K.M.C.H. Muzaffarpur. Further injury report if any can have from S.K.M.C.H. Muzaffarpur.

This injury report is written and signed by me. Mark as Exhibit-03.

02. On the same day I examined Arun Kumar Singh, S/o Late Ganga Singh, age-45 years, Male, Village-Baijnathpur, P.S.-Tariyani, District-Sheohar come in P.H.C. Tariyani at 01:15 P.M. and found following injuries on his person-

Injury (i) Swelling on Head 2"x1"x1/4"

(ii) Right hand ring finger cut mark about 1"x1/2"x1/4"

Both injuries caused by hard blunt substance such as bricks, stones.

Nature of injuries-Simple injury.

To rule out any other internal injury and further management of case the patient is being referred to S.K.M.C.H. Muzaffarpur. Further injury report if any can have from S.K.M.C.H. Muzaffarpur.

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

This injury report is written and signed by me. Mark as Exhibit-03/1.

03. On the same day I examined Priyanka Kumari, D/o Arun Singh, age-17 years, Female, Address-Baijnathpur, P.S.-Tariyani, District-Sheohar come in P.H.C. Tariyani at 12:25 P.M. and found following injuries on his person-

M.I.-Right leg wound mark.

Injury (i) Lacerated wound on nose about 1"x1/4"x1/4"

Type of injury-Hard blunt substance.

Nature-Simple.

Injury caused by hard blunt substance such as bricks & stones.

To rule out any other internal injury and further management of case the patient is being referred to S.K.M.C.H. Muzaffarpur. Further injury report if any can have from S.K.M.C.H. Muzaffarpur.

This injury report is written and signed by me. Mark as Exhibit-03/2.

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–तीनों जख्मियों का जख्म ऊंचे स्थान से गिरने पर हो सकता है। तीनों जख्मियों को S.K.M.C.H. Muzaffarpur. रेफर किये थे, परन्तु अभी तक वहॉ का जॉच रिपोर्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। एस0 के0एम0सी0एच0 का जॉच रिपोर्ट संचिका पर भी नहीं है। तीनों जख्मियों का जख्म Without risk of life बनाया भी जा सकता है। जख्म का रंग मैंने वर्णित नहीं

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

किया है। कोई जख्मी मेरे समक्ष मौजूद नहीं है। इंजरी रिपोर्ट में एज ऑफ इंजरी मैंने नहीं लिखा है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा इंजरी रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है।

19. अ0सा0सं0–12. प्रेमकिशोर यादव (अनुसंधानक), ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि–दिनांक–20.06.2012 को मैं तरियानी थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन मुझे तरियानी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के द्वारा तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012 का अनुसंधान भार सौंपा गया। तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012 का औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक संजय कुमार के लिखावट में है और उस औपचारिक प्राथमिकी पर तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह का हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। सम्पूर्ण प्राथमिकी को अभियोजन की ओर से प्रदर्श–4. अंकित किया जाता है। साधना सिंह का फर्दबयान स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ। उपरोक्त फर्दबयान पर पृष्ठाकंन तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ। सम्पूर्ण फर्दबयान को प्रदर्श–2/1. अंकित किया जाता है। जप्ती सूची दिनांक–03.04.2012 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–1/1 अंकित किया जाता है। जख्मी चंदन कुमार के जख्म मॉग–पत्र स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–5. अंकित किया जाता है। जख्मी अरुण कुमार एवं प्रियंका कुमारी के जख्म मॉग–पत्र स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे क्रमशः प्रदर्श–6. एवं प्रदर्श–7. अंकित किया जाता है। इस कांड का अनुसंधान भार प्रारम्भ किया। वरीय पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन–2. प्राप्त किया। साक्षी विवेक राय, विजय कुमार सिंह, रत्न झा का बयान लिया, जिन्होंने घटना का समर्थन किया।

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

अभियुक्त महेश राय, हरिमोहन सिंह एवं गौतम कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर का बयान लिया, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किया। जख्मी अरुण सिंह का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त किया। आरोप–पत्र अभियुक्त–कृष्णनंदन सिंह, राजा कुमार, रामाशंकर प्रसाद, संत राम, हरिमोहन सिंह, सागर राम, महन्थ राम, मनीष कुमार, रामपुकार साह, विजय कुमार साह, मुनचुन सिंह, हरेन्द्र दास, गोपाल सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, धारी राम, नजरे आलम, मो0 सबीर के विरूद्व धारा–147, 149, 342, 323, 307, 353, 427, 504, 506 भा0द0वि0, आरोप–पत्र संख्या–179/2012, दिनांक–31.10.2012 समर्पित किया।

इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण में आगे कहा है कि साक्षी विवेक राय, विजय कुमार साह, रत्न झा ने मेरे समक्ष साक्ष्य दिया था और कहा था कि मनीष कुमार, पुकार साह, विपिन कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, हरेन्द्र दास, मुनचुन सिंह, सागर राय, गोपाल सिंह, संत राय, ब्रजकिशोर सिंह, धारी राय, मो0 सबीर, नजरे आलम, महेश राय सभी लोग सचिव साधना सिंह को मारने लगे, उनके पति अरुण कुमार सिंह एवं उनकी पुत्री प्रियंका कुमारी उसे बचाने आये तो सभी लोग उन्हें भी मारपीट किये एवं कलीमुल्लाह एवं अरुण कुमार शिक्षक को विद्यालय के कमरा में बंद कर दिया, जिन्हें पुलिस आकर बाहर निकाली। अभियुक्तगण विद्यालय में तोड़फोड़ किये एवं विद्यालय के रजिस्टर में आग लगा दिये।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि–घटनास्थल का निरीक्षण मैंने नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है।

20. प्रस्तुत वाद में दिनांक 03.02.2026 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत उपरोक्त नामित अभियुक्त रौशन कुमार का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिनांक 07.02.2026 को अभिलिखित किया गया। अपने

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

कथन में अभियुक्त ने घटना से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताया। इसके पश्चात बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 30.04.2026 को सफाई साक्ष्य बंद किया गया। सफाई साक्ष्य बंद होने के उपरांत वाद को दिनांक 11.05.2026 को अंतिम बहस हेतु नियत किया गय।

21. न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष उपरोक्त एकमात्र अभियुक्त के विरूद्व लगाए गए सभी आरोपों को सुसंगत साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

मंतव्य

22. अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया है कि प्रस्तुत विचारण वाद में परीक्षित कराये गये कुल बारह साक्षियों के बयान से घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। चिकित्सक ने जख्मियों के शरीर पर जख्म पाया है। अभियुक्तगण जान मारने के नीयत से हमला किये थे।

23. प्रस्तुत वाद में बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि–प्रस्तुत वाद में अभियोजन के द्वारा कुल बारह साक्षियों का साक्ष्य विद्वान न्यायालय के समक्ष कराया गया है, जिसमें घटनास्थल पर उपस्थित एवं चक्षुदर्शी साक्षी, जो क्रमशः अ0सा0सं0–03. विवेक राज, अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह, अ0सा0सं0–05. रत्न झा, अ0सा0सं0–06. विनोद ठाकुर, अ0सा0सं0–08. साधना सिंह (सूचिका), अ0सा0सं0–09. सुधीर कुमार सिंह, अ0सा0सं0–10. मो0 कलीमुल्लाह सहित दो अन्य साक्षियों–अ0सा0सं0–01. रमेश सिंह एवं अ0सा0सं0–07. गणेश सिंह उर्फ रामगणेश प्रसाद सिंह को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जबकि शेष अन्य तीन साक्षियों, जिसमें सूचिका के पति, चिकित्सक एवं अनुसंधानक हैं। सूचिका, जो

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

अ0सा0सं0–08. हैं, को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जिन्होंने भी अपने मुख्य परीक्षण में मारपीट करने वालों का नाम नहीं जानने और उन्हें नहीं देखने की बात कही है, जबकि प्रतिपरीक्षण में विचारण अभियुक्त रौशन कुमार को भतीजा होने के कारण उसे पहचानने की बात कहते हुए उन पर एवं उनके परिवारजन के साथ भीड़ में किसने धक्का–मुक्की एवं मारा, नहीं देखने और न ही पहचानने की बात कहते हुए प्रस्तुत वाद में मुदालहगण से राजी–खुशी से सुलह–सलाह कर लेने की बात कहते हुए मुकदमा को अब आगे नहीं चलाने और मुदालह को रिहा कर देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होने की भी बात कही है। चिकित्सक ने भी अपने साक्ष्य में जख्मियों के जख्म को साधारण पाते हुए उसे मानव जीवन के लिए घातक नहीं बताया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष सभी संदेहों से परे उपरोक्त एकमात्र अभियुक्त के विरूद्व गठित आरोपों को सिद्व करने में पूर्ण रूप से असफल सिद्व हुए है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त के विरूद्व गठित सभी आरोपों से उसे निर्दोष साबित करते हुए आरोप मुक्त किया जाये।

24. उभय पक्षों के बहस सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन के द्वारा कुल बारह साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है, जिसमें घटनास्थल पर उपस्थित एवं चक्षुदर्शी साक्षी, जो क्रमशः अ0सा0सं0–03. विवेक राज, अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह, अ0सा0सं0–05. रत्न झा, अ0सा0सं0–06. विनोद ठाकुर, अ0सा0सं0–08. साधना सिंह (सूचिका), अ0सा0सं0–09. सुधीर कुमार सिंह, अ0सा0सं0–10. मो0 कलीमुल्लाह सहित दो अन्य साक्षियों–अ0सा0सं0–01. रमेश सिंह एवं अ0सा0सं0–07. गणेश सिंह उर्फ रामगणेश प्रसाद सिंह को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, जबकि शेष अन्य तीन साक्षियों–अ0सा0सं0–02. अरुण कुमार सिंह (सूचिका के पति),

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

अ0सा0सं0–11. डा0 पवन कुमार निराला (चिकित्सक साक्षी) एवं अ0सा0सं0–12. प्रेमकिशोर यादव (अनुसंधानक) हैं।

अ0सा0सं0–01. रमेश सिंह, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जप्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान कर उसे प्रदर्श–1. अंकित किये जाने, घटना के दिन अपने घर पर होने, घटना के बारे में सुने जाने, दारोगाजी के द्वारा बयान लेने, पुनः दारोगाजी द्वारा उसका बयान नहीं लेने, बल्कि थाना पर बुलाकर सादा कागज पर उसका हस्ताक्षर कराये जाने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में भी अभियुक्तगण को गॉव के बगल गॉव के होने के कारण पहचानने, स्वयं का हस्ताक्षर तरियानी थाना पर दारोगाजी के द्वारा कराने, स्वयं के समक्ष कोई भी सामान जप्त नहीं होने, घटना के विषय में किससे सुना था, उस व्यक्ति का नाम स्वयं के द्वारा नहीं बता पाने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से विरोधाभाष उत्पन्न होता है और इस साक्षी के साक्ष्य से घटना के संबंध में तथा उसमें मुदालह की भूमिका के संबंध में कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आता है।

अ0सा0सं0–02. अरुण कुमार सिंह, जो प्रस्तुत वाद की सूचिका के पति हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक–03.04.2012 को करीब साढ़े ग्यारह बजे दिन की घटना होने, अपनी पत्नी साधना सिंह (अ0सा0सं0–07, सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी) के मध्य विद्यालय, खाजेपुर की सचिव होने एवं घटना के दिन उक्त विद्यालय की जॉच हेतु शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य तीन व्यक्ति के विद्यालय में आये होने, जिनके साथ अपनी पत्नी साधना सिंह के भी साथ में होने, वहॉ पर हल्ला–हंगामा होने, उस विद्यालय के एक घर के बाद स्वयं का घर होने, हो–हल्ला सुनकर अपने लड़का चंदन, उसके बाद स्वयं एवं उसके बाद अपनी लड़की प्रियंका

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

कुमारी के उक्त स्कूल पर आने, स्वयं के द्वारा वहॉ पहुँचने पर अपनी पत्नी के द्वारा विचारण अभियुक्त सहित प्राथमिकी में वर्णित एवं वहॉ पर उपस्थित अन्य ग्रामीणों को समझा रहे होने एवं हल्ला नहीं करने के बात कहने, जॉच होने देने, एकत्रित ग्रामीणों द्वारा सचिव एवं प्रधानाध्यापक के द्वारा मिलकर खिचड़ी का पैसा खा जाने, स्वयं के लड़का चंदन के द्वारा भी उपरोक्त व्यक्तियों को समझाने पर कृष्णा सिंह एवं रमेश राय के द्वारा उसे मारे जाने के लिए कहने पर उपरोक्त सभी वहॉ पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा चंदन, स्वयं पर एवं शिक्षकों पर ईंटा चलाने लगने, रौशन कुमार (विचारण अभियुक्त) के द्वारा ईंटा से चंदन के सिर पर मारने, जिससे उसके सिर से खून बहने लगने, प्रियंका के द्वारा चंदन को बचाने जाने पर हरि सिंह के द्वारा ईंट से उसके नाक पर मारने, जिससे उसका नाक फट जाने, स्वयं को मनीष कुमार के द्वारा ईंटा से सिर पर मारने, जिससे स्वयं का सिर पचक जाने और वहीं पर गिर जाने, इसके बाद क्या हुआ, स्वयं के द्वारा नहीं देखने, क्योंकि गिरकर स्वयं के बेहोश हो जाने, स्वयं को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होश आने और वहॉ पर करीब दस दिन ईलाज चलने, अन्य जख्मियों का ईलाज तरियानी एवं उसके बाद मुजफ्फरपुर अस्पताल में होने, यह बात स्वयं के होश में आने के बाद जानने, अस्पताल से लौटकर घर वापस आने पर अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त विद्यालय में आग लगा दिये जाने की बात सुनने, इसके अलावे और कुछ नहीं सुनने, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मनीष कुमार एवं अन्य सभी अभियुक्तों को पहचानने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में इस वाद के अभियुक्त–हरि सिंह, हरिमोहन सिंह को स्वयं के सगा भाई होने, अभियुक्त–मनीष कुमार एवं रौशन कुमार को स्वयं का सगा भतीजा होने, शेष अन्य सभी अभियुक्तगण को ग्रामीण होने, स्वयं के अपने भाईयों के साथ जमीन का कागजी बॅटवारा नहीं होने, बॅटवारा को लेकर काफी विवाद चलने,

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

परन्तु बॅटवारा को लेकर अभी कोई विवाद नहीं चल रहा होने, आपसी बॅटवारा अभी तक क्लियर नहीं होने, इस केस के पहले अपनी पत्नी साधना देवी (प्रस्तुत वाद की सूचिका) के द्वारा इस वाद के अभियुक्त मनीष कुमार एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–33/2006 दर्ज कराने, जिसमें अभियुक्तगण के रिहा होने, यह नहीं जानने की अभियुक्त मनीष कुमार सिंह के द्वारा उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरूद्व सूचनार्थ आवेदन संख्या–73/2011 अनुमंडल दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दाखिल किये जाने, इस केस के अभियुक्त नजरे आलम के द्वारा इस केस के पूर्व उनके एवं उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार सिंह एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–27/2012, अंतर्गत धारा–341, 342, 323, 379/34 भा0द0वि0 दर्ज कराये जाने, जिसमें अभियुक्तों की रिहाई हो जाने, अभियुक्त रामपुकार साह के द्वारा उसी दिन की घटना को लेकर उनके, प्रधानाध्यापक एवं अन्य के विरूद्व तरियानी थाना कांड संख्या–53/2012 दर्ज कराने, जो अभी श्री विशाल कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में लंबित होने, स्वयं का गॉव खाजेपुर एवं बैजनाथपुर, दो अलग–अलग गॉव में होने, यह नहीं जानने की विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव उसी गॉव के होने एवं जिनके दो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हो के होने, स्वयं को कुल पॉच लड़के होने, विद्यालय पर स्वयं के पहुॅचने पर वहॉ करीब 40–50 व्यक्ति के उपस्थित होने, जिसमें से स्वयं के द्वारा सिर्फ शिक्षकों एवं ईंटा–पत्थड़ चलाने वाले व्यक्तियों का नाम जानने, वहॉ उपस्थित भीड़ के अन्य व्यक्तियों का नाम नहीं जानने, स्वयं के घर से करीब दस–बारह लग्गी की दूरी पर उक्त विद्यालय के होने, विद्यालय की चौहद्दी बताने, ग्रामीण चौक के दुकानदारों से स्वयं का कोई झगड़ा–झंझट नहीं होने, यह याद नहीं होने की ईंटा चलाने के वक्त वे किस दिशा में मुॅह करके खड़े होने, ईंटा स्वयं के सिर पर आगे

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

से लगने, ललाट पर ईंटा से जख्म होने, ईंटा चलाने वालों की संख्या अठारह होने, सम्पूर्ण ईंटा या टुकड़ा से स्वयं को चोट लगा, नहीं देख सकने, उस समय कौन कपड़ा पहने थे, याद नहीं होने, स्वयं के कपड़े में खून नहीं लगा होने, जिस समय ईंटा चल रहा था, उस समय स्वयं के सामने चार/पॉच व्यक्ति–मनीष कुमार, रौशन कुमार, हरिमोहन सिंह, हरेन्द्र दास का नाम याद होने, विद्यालय कैम्पस में स्वयं को मार लगने, अपने परिवार के लोगों के अलावे अन्य किसी को जख्म नहीं होने, इस केस में आज से पहले पुलिस को बयान देने, पुलिस में दिये गये बयान से इनकार करने, स्वयं के चोट लगने के बाद जमीन पर खून नहीं गिरने की बात कहा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी विरोधाभाष उत्पन्न होता है, क्योंकि इस साक्षी ने जहॉ अपने मुख्य परीक्षण में कृष्णा सिंह एवं रमेश राय (प्राथमिकी के नामित अभियुक्त, लेकिन इस विचारण वाद के अभियुक्त नहीं) के कहने पर उपरोक्त सभी व्यक्ति एवं चंदन (इस विचारण वाद के अभियुक्त नहीं), उन पर एवं शिक्षकों पर ईंटा चलाने लगे एवं रौशन (विचारण अभियुक्त) ईंटा से चंदन (सूचिका एवं इस साक्षी का पुत्र) के सिर पर मारने, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा, की बात कहा है, वहीं प्रतिपरीक्षण में इससे इनकार करते हुए रौशन को अपना सगा भतीजा होने की बात कहा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य सामने आता हो।

अ0सा0सं0–03. विवेक राज, जिसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से घटना 03.04.2012 की लगभग साढ़े ग्यारह बजे की होने, उस दिन विद्यालय जॉच के लिए आर.डी.डी., मुजफ्फरपुर, डी.ई.ओ. एवं डी.पी.ओ. के आने, जॉच के लिए उस समय प्रधानाध्यापक सुधीर कुमार

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

सिंह (अ0सा0सं0–09, पक्षद्रोही साक्षी), मो0 कलीमल्ला (अ0सा0सं0–10, पक्षद्रोही साक्षी), रतन झा (अ0सा0सं0–05, पक्षद्रोही साक्षी, शिक्षक), अरुण कुमार सिंह (शिक्षक) के होने एवं स्वयं तथा दूसरे शिक्षक के बगल वाले क्लास रूम में बैठे होने, करीब 11:30 बजे हल्ला सुनकर सभी के बाहर आने, उस समय विद्यालय के मुख्य द्वार पर 100–125 लोगों, औरत–बच्चों के होने, हल्ला होने, सभी के पश्चिम की ओर भागने, दूसरे दिन विद्यालय आने पर ताला लगा होने, पता चलने की ग्रामीण एवं सचिव साधना सिंह एवं उनके पति अरुण कुमार सिंह के बीच विवाद होने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–हंगामा करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं पहचानने, न्यायालय के नोटिस पर बयान देने आने एवं इस मुकदमा में पुलिस समक्ष स्वयं का बयान नहीं होने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–04. विजय कुमार साह, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक 03.04.2012 की 11:30 बजे दिन की घटना होने, घटना के समय मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के पद पर पदस्थापित होने, उस दिन अर्थात घटना के दिन विद्यालय में जॉच हेतु आर.डी.डी., डी.ई.ओ., डी.पी.ओ. एवं अन्य पदाधिकारीगण के आने, स्वयं एवं अन्य स्टॉफ के बगल वाले कमरा में बैठे होने एवं प्रधानाध्यापक के कक्ष में जॉच चल रहे होने, हल्ला होने पर बाहर निकलने एवं काफी भीड़ देखने, डर कर पीछे के गेट से बाहर भाग जाने, कल होकर विद्यालय आने पर यह पता चलने की ग्रामीणों एवं सचिव साधना सिंह एवं उनके पति अरुण कुमार सिंह में विवाद हुआ होने, इसके

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

अलावा स्वयं के और कुछ नहीं जानने एवं दारोगाजी के द्वारा स्वयं का बयान नहीं लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–हंगामा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानने, मुदालह लोग के विद्यालय में हल्ला–हंगामा करने वालों में नहीं होने, गॉव के शिक्षक होने के नाते मुदालह लोगों को पूर्व से जानने, पहचानने, न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आने एवं दारोगा के समक्ष कोई बयान नहीं देने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–05. रतन झा, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से अप्रैल 2012 को दिन के 11:30 बजे दिन की घटना होने, घटना के समय स्वयं के मध्य विद्यालय, खाजेपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित होने एवं अरुण सिंह (अ0सा0सं0–02.) की पत्नी को उक्त विद्यालय की सचिव होने, उस दिन आर.डी.डी., डी.ई.ओ. एवं अन्य कुछ व्यक्ति के उक्त विद्यालय की जॉच, विद्यालय के कार्यालय में सुधीर बाबू एवं अरुण सिंह के साथ कर रहे होने, ग्रामीण एवं अभिभावक के द्वारा हल्ला–गुल्ला करने लगने, तब शिक्षक लोग के वहॉ से भागने लगने और स्वयं के भी वहॉ से भाग जाने, घटना के बाद परसो होकर स्वयं के विद्यालय आने पर कुछ नहीं पता चलने कि उस दिन उनके जाने के बाद क्या हुआ, दारोगा के द्वारा स्वयं का बयान नहीं लेने, 2015 के फरवरी में उसी विद्यालय से अवकाश प्राप्त करने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–हंगामा करने वाले किसी व्यक्ति के नहीं पहचानने एवं न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है, जिससे

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–06. विनोद ठाकुर, जिन्हें भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से घटना के विषय मे कुछ नहीं जानने एवं दारोगा के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–हंगामा करने वाले किसी व्यक्ति के नहीं पहचानने एवं न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–07. गणेश सिंह उर्फ रामगणेश प्रसाद सिंह, जिन्हें भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वयं को वर्ष 2006 से 2016 तक बेलहिया पंचायत का सरपंच होने, घटना के विषय मे कुछ नहीं जानने एवं दारोगा के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में मुदालहगण को उसके पंचायत के होने के कारण पहचानने एवं न्यायालय के नोटिस पर गवाही देने आने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस प्रकाश सामने आता हो।

अ0सा0सं0–08. साधना सिंह, सूचिका, जिन्हें भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से दिनांक 03.04.2012 को करीब 11:30 बजे दिन की घटना होने, जिला शिक्षा अधीक्षक, शिवहर के

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

खाजेपुर मध्य विद्यालय में जॉच के लिए आये होने, स्वयं के विद्यालय सचिव होने के नाते वहॉ पर मौजूद होने, जॉच में आये क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक, तिरहुत प्रमंडल के द्वारा बारी–बारी से शिक्षकों से पूछताछ करने, इसी बीच गॉव के बहुत सारे लोगों को वहॉ पर आ जाने और यह कहने की विद्यालय में कोई काम नहीं होता है, खिचड़ी नहीं बनता है और विद्यालय का पैसा उठाकर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय सचिव खा जाते हैं, की बात कहने, इस पर स्वयं के द्वारा उनसे यह कहने की जॉच हो रही है तो आपलोगों को हल्ला करने की क्या जरूरत है, इतने पर उन सभी के द्वारा उन पर हमला कर देने, बीच–बचाव करने पर उनके पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह तथा पुत्री प्रियंका कुमारी पर भी सभी लोगों के द्वारा ईंटा, पत्थड़, डंडा से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर देने, मारपीट करने वालों में से किसी का नाम अभी नहीं बता सकने, काफी लोगों के जुटने, भीड़ में किसने उनलोगों को मारपीट किया, स्वयं के द्वारा नहीं देखने, ईलाज के लिए पी0एच0सी0, तरियानी जाने, जहॉ दारोगा के आने और उसका फर्दबयान लेने, पढ़कर सुना देने, जिसे सही पाकर अपना हस्ताक्षर कर देने और अपने हस्ताक्षर की पहचान कर उसे प्रदर्श–2. अंकित किये जाने, दारोगा के द्वारा उसका पुनःबयान नहीं लेने की बात कही है, जबकि प्रतिपरीक्षण में मनीष और रौशन को भतीजा एवं हरिमोहन सिंह को भैसूर होने के कारण पहचानने तथा शेष मुदालह को ग्रामीण होने के कारण पहचानने, जॉच के समय गॉव के बहुत सारे लगभग 500–700 आदमी के जमा होने एवं हल्ला–हंगामा करने, स्वयं एवं उनके परिवार के साथ भीड़ में किसने धक्का–मुक्की किया एवं मारा, नहीं देख पाने और न ही पहचान पाने, राजी–खुशी से सभी मुदालहों से सुलह कर लेने एवं सुलहनामा पर हस्ताक्षर कर न्यायालय में दाखिल करने, मुदालह के विरूद्व मुकदमा आगे नहीं चलाने एवं मुदालह के रिहा होने पर

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

उसे कोई आपत्ति नहीं होने, दारोगाजी को अस्पताल में किसने नाम लिखवाया, उसकी जानकारी उन्हें नहीं होने की बात कही है। इस प्रकार इस सूचिका, पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रकाश में सामने आता हो।

अ0सा0सं0–09. सुधीर कुमार सिंह, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से घटना आज से साढ़े सात पहले दिनांक 03 अप्रैल, 2012 की होने, उस समय स्वयं के मध्य विद्यालय खाजेपुर में प्रधानाध्यापक होने, ग्रामीणों के आवेदन पर विद्यालय में क्षेत्रीय शिक्षा उप–निदेशक रंजीत सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सत्येन्द्र नारायण यादव, डी.पी.ओ. प्रमोद साहु के जॉच हेतु आने और लोगों को बुलाकर क्रमवार पूछताछ किये जाने, इसी बीच शोरगुल होने की विद्यालय में खिचड़ी नहीं बनने, सही ढ़ंग से काम नहीं होने, स्कूल में पढ़ाई नहीं होने, स्कूल का पैसा निकालकर सचिव साधना सिंह, प्रधान शिक्षक के खा जाने, इस पर साधना सिंह के बोलने की आपलोगों की शिकायत पर जॉच दल के आने और उनके द्वारा जॉच किया जा रहा है तो हंगामा क्यों करते हैं, इस पर अभियुक्तगण के द्वारा गाली–गलौज करते हुए पथराव करने लगे, सचिव के पति अरुण सिंह, पुत्र चंदन कुमार सिंह, पुत्री प्रियंका कुमारी को मारपीट कर जख्मी कर देने और लोगों से धक्का–मुक्की कर टेबुल उलट देने और शिक्षक कलीमुल्लाह, अरुण कुमार सिंह एवं स्वयं को कार्यालय में बंद कर देने, पुलिस को सूचना देने पर पुलिस के आने एवं ताला तोड़कर सभी को बाहर निकालकर थाना ले जाने, इसी बीच मुदालहगण के द्वारा फिर स्कूल में आकर विद्यालय का गोदरेज तोड़कर कागजात फर्श पर बिखेड़ देने, स्वयं के द्वारा किसी मुदालह को नहीं पहचानने एवं

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

दारोगा के द्वारा उसका बयान नहीं लेने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में हल्ला–गुल्ला, शोरगुल के समय स्वयं को कार्यालय में कार्यालय पदाधिकारी के समक्ष होने, बाहर नहीं निकलने, जिससे किसी को नहीं देखने, की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है, जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रकाश में सामने आता हो।

अ0सा0सं0–10. मो0 कलीमुल्लाह, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक 03.04.2012 को मध्य विद्यालय, खाजेपुर में उर्दू शिक्षक के पद पर पदस्थापित होने, साधना सिंह को उक्त विद्यालय की सचिव होने, करीब 11–11:30 बजे दिन में ग्रामीणों की शिकायत पर जॉच दल के द्वारा विद्यालय में लोगों को बुलाकर जॉच कर रहे होने, डी.ई.ओ., डी. पी.ओ., आर.डी.डी., के जॉच दल में आने, पूछताछ हो रहे होने, इसी बीच ग्रामीण लोगों के द्वारा हल्ला–गुल्ला करते हुए स्कूल प्रशासन की शिकायत करने, जिस पर सचिव के द्वारा उनलोगों को समझाने, ग्रामीणों लोगों के द्वारा रोड़ाबाजी करने और सचिव को रोड़ा, ईंटा से मारने, सचिव का बेटा, पति, बेटी के द्वारा सचिव को बचाने आने पर उन सभी को भी ग्रामीणों द्वारा मारपीट किये जाने, जॉच दल के द्वारा स्थिति को देखते हुए भाग जाने, सूचना पाकर पुलिस के आने, ग्रामीणों के द्वारा स्वयं एवं अन्य लोगों सुधीर सिंह, अरुण कुमार, एक शिक्षक, जिन्हें ताला बंद कर रखा गया था, को पुलिस के द्वारा ताला तोड़कर रूम से बाहर निकालने और थाना ले जाने, थाना में ही यह सूचना मिलने की ग्रामीणों द्वारा विद्यालय कार्यालय में आग लगा दिये जाने, जिससे सभी रजिस्टर वगैरह के जल जाने, घटना कारित करने वालों में 20–25 व्यक्ति के होने, जिसमें कुछ लोगों को पहचानने, लेकिन नाम याद

नहीं होने, पूर्व में भी इस केस में स्वयं के द्वारा बयान देने और कुछ लोगों का नाम कहने, लेकिन काफी दिन बीत जाने के कारण नाम अभी याद नहीं आ रहा होने, मुदालह को सामने आने पर पहचान करने और नहीं भी कर सकने, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानने, लेकिन नाम नहीं जानने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में घटना करने वालों में किसी का नाम स्वयं के द्वारा नहीं जानने, क्योंकि स्वयं के द्वारा घटना नहीं देखे जाने, दूसरे के कहने के अनुसार पूर्व के बयान में नाम बताये जाने, लेकिन कौन व्यक्ति नाम बताया, उसका नाम नहीं याद होने की बात कहा है। इस प्रकार इस पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य से भी विरोधाभाष उत्पन्न होता है और कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है जिससे कथित घटना कारित किये जाने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रकाश में सामने आता हो।

अ0सा0सं0–11. डा0 पवन कुमार निराला, जिन्होंने प्रस्तुत वाद के जख्मियों का ईलाज किया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से प्रस्तुत वाद के तीनों जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का बताते हुए, उक्त जख्म प्रतिवेदनों पर किये गये अपने लिखावट एवं हस्ताक्षर की पहचान कर उसे क्रमशः प्रदर्श–3, प्रदर्श–3/1 एवं प्रदर्श–3/2. अंकित कराया है, जबकि प्रतिपरीक्षण में तीनों जख्मियों के जख्म को ऊंचे स्थान से गिरने पर भी हो सकने और उक्त जख्मों को मानव जीवन के लिए कोई खतरा होना नहीं बताया है। इस प्रकार इस चिकित्सक साक्षी के साक्ष्य से यह तो परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत वाद के जख्मियों को जख्म कारित हुआ, लेकिन वह जख्म मुदालह के द्वारा कारित कृत्य से ही हुआ हो, इस संबंध में कोई ठोस तथ्य परिलक्षित नहीं होता है।

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

अ0सा0सं0–12. प्रेमकिशोर यादव, जो प्रस्तुत वाद के अनुसंधानक हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से दिनांक–20.06.2012 को तरियानी थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित होने, उस दिन तरियानी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के द्वारा तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012 का अनुसंधान भार उन्हें सौंपे जाने, तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012 की औपचारिक प्राथमिकी थाना लेकर संजय कुमार के लिखावट में होने एवं उस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह का हस्ताक्षर होने एवं उसकी पहचान कर प्राथमिकी को प्रदर्श–4. अंकित किये जाने, साधना सिंह के फर्दबयान को स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने एवं फर्दबयान पर पृष्ठाकंन तत्कालीन थानाध्यक्ष के लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने एवं उसकी पहचान कर सम्पूर्ण फर्दबयान को प्रदर्श–2/1. अंकित किये जाने, जप्ती सूची दिनांक–03.04.2012 स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने एवं उसकी पहचान कर जप्ती सूची को प्रदर्श–1/1. अंकित किये जाने, जख्मी चंदन कुमार के जख्म मांग–पत्र स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने एवं उसकी पहचान कर चंदन कुमार के जख्म मांग–पत्र को प्रदर्श–5. अंकित किये जाने, जख्मी अरुण कुमार एवं प्रियंका कुमारी के जख्म मांग पत्र को स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में होने एवं उसकी पहचान कर उक्त दोनों मॉग पत्र को क्रमशः प्रदर्श–6. एवं प्रदर्श–7. अंकित किये जाने, कांड का अनुसंधान भार प्रारम्भ करने, वरीय पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन–2. प्राप्त करने, साक्षी विवेक राय, विजय कुमार सिंह, रत्न झा का बयान लेने, अभियुक्त महेश राम, हरिमोहन सिंह एवं गौतम कुमार को गिरफ्तार करने, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर का बयान लेने, अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करने, जख्मी अरुण सिंह, का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त करने, आरोप पत्र

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153/2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47/2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

अभियुक्त–कृष्णनंदन सिंह, राजा कुमार, रामाशंकर प्रसाद, संत राम, हरिमोहन सिंह, सागर राम, महन्थ राम, मनीष कुमार, रामपुकार साह, विजय कुमार साह, मुनचुन सिंह, हरेन्द्र दास, गोपाल सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, धारी राम, नजरे आलम, मो0 सबीर के विरूद्व धारा–147, 149, 342, 323, 307, 353, 427, 504, 506 भा0द0वि0, आरोप पत्र संख्या–179/2012, दिनांक–31.10.2012 समर्पित करने की बात कहा है, जबकि प्रतिपरीक्षण में घटनास्थल का निरीक्षण स्वयं के द्वारा नहीं किये जाने की बात कहा है। इस प्रकार इस अनुसंधानक साक्षी के साक्ष्य से भी कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य परिलक्षित नहीं होता है कि जिससे कथित घटना कारित करने या उसमें मुदालह की संलिप्तता के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रदर्शित होता हो।

25. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचित तथ्यों, वाद की प्रकृति, पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन/अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रस्तुत वाद के विचारण के एकमात्र अभियुक्त के द्वारा ही घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट रूप से तथ्य सामने नहीं आया है और इस एकमात्र अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष उपरोक्त एकमात्र अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सभी संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त एकमात्र अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने के योग्य हैं। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है–

आदेश

26. अतः उपरोक्त नामित एकमात्र अभियुक्त–रौशन कुमार को भारतीय न्याय संहिता की धारा–147, 323/149, 342/149, 307/149, 427/149, 504/149, 506/149 में

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
सत्रवाद संख्या–153 / 2016
(तरियानी थाना कांड संख्या–47 / 2012)
CNR No. BRS001-000115-2016

सरकार बनाम् रौशन कुमार

दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें तथा उनके जमानतदारों को उनके बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित वो हस्ताक्षरित होने के बाद आज दिनांक 30.07.2026. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्विकृत
ह0 / –
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–30.07.2026.

ह0 / –
(दीपक कुमार)
प्रधान सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
दिनांक–30.07.2026.

Date of Judgment	30.07.2026
Date of Reserving Judgment	20.06.2026
Uploading Date	30.07.2026
Uploaded By	Sanjeev Kumar, (Steno)